राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)म.मं./2019 जयपुर, दिनांकः 01/12/2022

संशोधित आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.09.2022 द्वारा भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के अंतर्गत अधिग्रहण कार्यवाही समाप्ति (Deemed Lapsing), भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत अवाप्ति से मुक्ति एवं अधिसूचित योजनाओं की प्रक्रिया से मुक्त करने के प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा निस्तारित किये जाने वाले प्रकरणों एवं निर्णयों की क्रियान्विति निम्नानुसार की जावेगीः–

(अ) समिति निम्न प्रकार के प्रकरणों में निर्णय करने हेतु अधिकृत होगीः–

1. सभी विभागों के ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि अवाप्ति राज्य हित में आवश्यक नहीं है, उन्हें भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा–48 के तहत अवाप्ति से मुक्त करने संबंधी प्रकरण।
2. भूमि अवाप्ति प्रक्रिया में सम्मिलित ऐसी भूमि जो किसी योजना की क्रियान्विति हेतु अवाप्त की गई थी एवं जिसका उपयोग अवाप्ति के प्रयोजनार्थ नहीं हो पा रहा हो और वहां पर आवासीय बसावट हो गई हो, को भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा–48 के तहत अवाप्ति से मुक्त करने संबंधी प्रकरण।
3. राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम की धारा–27, नगर विकास न्यास अधिनियम की धारा–32/38 के अन्तर्गत एवं जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरणों के अधिनियम तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत अधिसूचित योजनाएँ, जिनकी क्रियान्विति नहीं हो पायी हो, उस भूमि को योजना क्षेत्र से मुक्त करने संबंधी प्रकरण।
4. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा–24(2) के तहत अवाप्ति प्रक्रिया समाप्त माने जाने योग्य (Deemed Lapsing) के प्रकरण।
5. भूमि अवाप्ति से जुड़े विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन/विवादित/जटिल प्रकरण जो संबंधित विभाग द्वारा मंत्रिमण्डलीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किए जावें।

(ब) समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति निम्नानुसार की जावेगीः–

1. विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में समिति द्वारा अवाप्ति से मुक्त करने का निर्णय संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होगा। विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों में न्यायालय में दायर अपील/रिवीजन आदि समिति के निर्णयानुसार प्रत्याहरित की जावेगी।

कृ.पृ.उ.

2. मंत्रिमण्डलीय समिति के निर्णयों की पालना करवाने हेतु मुख्य सचिव अधिकृत होंगे। समिति के सचिव का यह दायित्व होगा कि वे निर्णयों की पालना हेतु समस्त निर्णय मुख्य सचिव के ध्यान में लावें।
3. प्रत्येक प्रकरण में संबंधित निकाय/विभाग द्वारा नगरीय विकास विभाग को निर्धारित मानक चैक लिस्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। नगरीय विकास विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली मानक चैक लिस्ट में निम्न बिन्दुओं को शामिल किया जाएः–
   (i) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के तथ्य–धारा 4, धारा 6, अवार्ड की दिनांक व स्थिति।
   (ii) भूमि पर वर्तमान भौतिक कब्जे की स्थिति।
   (iii) भूमि अवाप्ति का नकद मुआवजा खातेदार को प्राप्त हुआ अथवा नहीं।
   (iv) जिस योजना हेतु यह भूमि अवाप्ति की गई है, क्या उसकी क्रियान्विति उक्त भूमि पर की जा चुकी है अथवा नहीं।
4. समिति आवश्यकता पड़ने पर महाधिवक्ता/अति.महाधिवक्ता से राय ले सकेगी।
5. समिति आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित कर सकेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग होगा एवं समिति के सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
5. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
6. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
9. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

(श्रीराम मोदी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)म.मं./2019 जयपुर, दिनांकः 24.09.2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के अंतर्गत अधिग्रहण कार्यवाही समाप्ति (Deemed Lapsing), भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत अवाप्ति से मुक्ति एवं अधिसूचित योजनाओं की प्रक्रिया से मुक्त करने के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय समिति का एतदद्वारा गठन किया जाता है:–

1.	श्री शांति कुमार धारीवाल, मा0 मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	संयोजक
2.	श्री रामलाल जाट मा0 मंत्री, राजस्व विभाग	सदस्य
3.	श्रीमती शकुन्तला रावत मा0 मंत्री, उद्योग विभाग	सदस्य
4.	संबंधित विभाग के मा0 मंत्री जिनका भूमि अवाप्ति का प्रकरण हो	सदस्य

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग होगा एवं समिति के सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
5. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
6. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
9. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

(श्रीराम मोदी)
शासन उप सचिव